



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092022-238648
CG-DL-E-07092022-238648

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3997]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2022/भाद्र 16, 1944

No. 3997]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2022/BHADRA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2022

का.आ. 4178(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 321G के कि.मी. 51+600 से 75+700 कि.मी. तक-(आगरा जलेसर एटा सेक्शन-2 मार्ग) (अतिरिक्त) का निर्माण (चौड़ीकरण/चार-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिलाधिकारी सदर एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एटा, जिला एटा, (उत्तर प्रदेश) को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जिले एटा, में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 321G के कि.मी. 51+600 से 75+700 कि.मी. तक (आगरा जलेसर एटा सेक्शन-2 मार्ग) (अतिरिक्त) निर्माण के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: एटा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: एटा					
गांव का नाम: अरथरा					
1	112	सरकारी	बंजर	0.2300000(हेक्टेयर)	0.2300000
2	113	सरकारी	बंजर	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000
3	85	सरकारी	बंजर	0.0680000(हेक्टेयर)	0.0680000
4	87	अन्य	कृषि /बंजर	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000
गांव का नाम: कुवरपुर चन्द्रभानपुर					
1	346	अन्य	कृषि /बंजर	0.1210000(हेक्टेयर)	0.1210000
गांव का नाम: लहरा					
1	18	सरकारी	बंजर	0.0070000(हेक्टेयर)	0.0070000
2	23	अन्य	कृषि /बंजर	0.0580000(हेक्टेयर)	0.0580000
गांव का नाम: निधौलीकलां					
1	385	अन्य	कृषि/रामलीला मैदान	0.0240000(हेक्टेयर)	0.0240000
2	510	निजी	कृषि	0.1950000(हेक्टेयर)	0.1950000
गांव का नाम: ततारपुर दोयम					
1	214 Sa, 214	अन्य	कृषि/आकृषिक/बंजर	0.3696000(हेक्टेयर)	0.3696000
2	240	निजी	कृषि	0.9360000(हेक्टेयर)	0.9360000
कुल				2.0196	2.0196

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH-321G/LA/2021-22/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2022

S. O. 4178(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2 laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of National Highway no. 321G in the stretch of land from **Km. 51+600 to 75+700 km. (Agra-Jalesar-Etah-Section-2 Road) (Additional)** in the district of **Etah**, in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisional Officer (**Sadar**) and **land Acquisition Officer Etah, District Etah, (Uttar Pradesh)** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 51+600 to 75+700 km. (Agra-Jalesar-Etah-Section-2 Road) (Additional) National Highway no. 321G in the district of Etah, in the state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH		District: ETAH			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Etah					
Village: Arathara					
1	112	Government	Banjar	0.2300000(Hectare)	0.2300000
2	113	Government	Banjar	0.0080000(Hectare)	0.0080000
3	85	Government	Banjar	0.0680000(Hectare)	0.0680000
4	87	Common	Agriculture/Banjar	0.0030000(Hectare)	0.0030000
Village: Kubarpur chandrabhan					
1	346	Common	Agriculture/Banjar	0.1210000(Hectare)	0.1210000
Village: Lahra					
1	18	Government	Banjar	0.0070000(Hectare)	0.0070000
2	23	Common	Agriculture/Banjar	0.0580000(Hectare)	0.0580000

				)	
Village: Nidhaulikalan					
1	385	Common	Agriculture/Ramleela Ground	0.0240000(Hectare)	0.0240000
2	510	Private	Agriculture	0.1950000(Hectare)	0.1950000
Village: Tatarpur Doyam					
1	214 Sa, 214	Common	Agriculture/Non Agriculture/Banjar	0.3696000(Hectare)	0.3696000
2	240	Private	Agriculture	0.9360000(Hectare)	0.9360000
Total				2.0196	2.0196

[F. No. CE-RO/LKO/NH-321G/LA/2021-22/3A]

RAJESH GUPTA, Director